

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठाधीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 126/2015

अपील संख्या : 81/2015

अपीलापट

1 मदनकर पति गोरखन सिंह जाति राजपूत निवासी मारवाड जंक्शन

1 भवसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति देसपौडे-रस बनाम

2 भूकसिंह पुत्र हिमनसिंह के का.स. (सामावास) धनला तहसील मा०ज० राजपूत निवासी गुंडा भोजराज

2.1 देवीसिंह पुत्र भूकसिंह

2.2 पर्वतसिंह पुत्र भूकसिंह

2.3 मदनसिंह पुत्र भूकसिंह

2.4 गुमानसिंह पुत्र भूकसिंह

2.5 नाहरसिंह पुत्र भूकसिंह

2.6 सावंकर पति भूकसिंह जाति राजपूत निवासीगण गुंडा

भावला (सामावास) धनला तहसील मा०ज०

2.7 निहालकर (नेलाकर) पति कृन्दनसिंह पुत्री भूकसिंह

जाति राजपूत निवासी हिलारिया पोस्ट लान्बोडी

वाया वारसुजा जिला राजसमन्द

3 लालसिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपूत निवासी गुंडा

(सामावास) धनला तहसील मा०ज० भवसिंह के

4 भवसिंह पुत्र सोहनसिंह के का०सु०

4.1 सज्जनकर पति भवसिंह जाति राजपूत निवासी गुंडा

भावला (सामावास) धनला तहसील मा०ज०

4.2 श्रवणकर पति नरेन्द्रसिंह पुत्री भवसिंह जाति राजपूत

सामावास कसौली तहसील देसपौडे

4.3 प्रकाशकर पति सुभरसिंह निवासी गुंडा गोपीनाथ पोस्ट

सामासी तहसील देसपौडे

5 श्रीक कर बवा कानसिंह जाति राजपूत निवासी गुंडा भोजराज

(सामावास) धनला तहसील मा०ज० भवकर बवा नरपतसिंह जाति

6 राजपूत निवासी गुंडा भोजराज (सामावास) धनला तहसील मा०ज०

7 इन्द्रसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति



राजस्थान राजस्व अपील प्राधिकारी

- राजस्थान निवासी गुंडा भोजराज (सामावास) धनला तहसील मा०ज० 8 महेंद्रसिंह पुत्र नरपतिसिंह जालि
- राजस्थान निवासी गुंडा भोजराज (सामावास) धनला तहसील मा०ज० 9 देवीसिंह पुत्र देवीसिंह जालि
- राजस्थान निवासी गुंडा भोजराज (सामावास) धनला तहसील मा०ज० 10 कवन कवर बेवा देवीसिंह जालि
- राजस्थान निवासी गुंडा भोजराज (सामावास) धनला तहसील मा०ज० 11 खीवासिंह पुत्र सवाइंसिंह जालि
- राजस्थान निवासी गुंडा भोजराज (सामावास) धनला तहसील मा०ज० 12 मानसिंह पुत्र सवाइंसिंह जालि
- राजस्थान निवासी गुंडा भोजराज (सामावास) धनला तहसील मा०ज० 13 ऊकरसिंह पुत्र सवाइंसिंह जालि
- राजस्थान निवासी गुंडा भोजराज (सामावास) धनला तहसील मा०ज० 14 विक्रमसिंह पुत्र सवाइंसिंह जालि
- राजस्थान निवासी गुंडा भोजराज (सामावास) धनला तहसील मा०ज० 15 छायकवर बेवा सवाइंसिंह जालि
- राजस्थान निवासी गुंडा भोजराज (सामावास) धनला तहसील मा०ज० 16 मासिंह पुत्र रामसिंह जालि
- राजस्थान निवासी गुंडा भोजराज (सामावास) धनला तहसील मा०ज० 17 आसिंह पुत्र रामसिंह जालि
- राजस्थान निवासी गुंडा भोजराज (सामावास) धनला तहसील मा०ज० 18 छलकवर बेवा रामसिंह जालि
- राजस्थान निवासी गुंडा भोजराज (सामावास) धनला तहसील मा०ज० 19 ज्ञानसिंह पुत्र बाधसिंह जालि
- राजस्थान निवासी गुंडा भोजराज (सामावास) धनला तहसील मा०ज० 20 शक्तिसिंह पुत्र बाधसिंह जालि
- राजस्थान निवासी गुंडा भोजराज (सामावास) धनला तहसील मा०ज० 21 इयामकवर बेवा बाधसिंह जालि
- राजस्थान निवासी गुंडा भोजराज (सामावास) धनला तहसील मा०ज० 22 मीनछारी तहसीलदार मारवाड जंझन
- मऊधरा ग्रामीण बँक, धनला 23 तहसील मारवाड जंझन

राजस्थान अश्विन शासकरी





राज्य अपील प्रशासन  
पुणे

विद्वान अग्रिमाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम गुडा भोजराज (मामावास) के खसरा नम्बर 51 रकबा 5.5391 हैक्टयर की भूमि में से अपीलान्ट द्वारा रेस्पॉन्डेंट्स से 0.2529 हैक्टयर अर्थात 1 बीघा भूमि जारिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के क्रय की तथा उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी एवं प्रतिवादीगण, जो इस अपील में रेस्पॉन्डेंट संयोजित हैं, ने मिलावट कर बिना अपीलार्थी को पक्षकार नियोजित किए दिनांक 11.10.2013 को वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काइलकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिसमें अपनी अन्य भूमियाँ सहित खसरा नम्बर 51 की सम्पूर्ण आराजी स्थल की बतौर हुए विभाजन का अर्जतीष था। दिनांक 11.03.2014 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष सहमति व्यक्त करते हुए प्राथमिक हिस्की जारी करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार मारवाड़ जंखान को अधिकृत करते हुए पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मय नजदी नवरी सहित प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार मारवाड़ जंखान द्वारा जो पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके आधार पर प्रकरण में अन्तिम हिस्की जारी कर दी गई। जबकि वाद विचारण से पूर्व ही राजस्व रेकॉर्ड में अपीलान्ट का नाम बतौर सह खालदार दर्ज था, इसके बावजूद भी न तो अपीलान्ट को पक्षकार बनाया गया तथा न ही उसे किसी प्रकार से सूचना देकर सम्पादित करवा दे है, जो आरम्भ से ही बोनस है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार बिना सूचना देकर अपीलान्ट का अवसर प्रदान किया, किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी के एक अधिका, आधिपत्य, प्रदान किए बिना जो अपील आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार करवा एवं जो अपील आदेश अपारस्त करवा।

को इस निर्णय के जारिये निर्णित किया जाता है।  
 ही प्रकरण, एक ही पक्षकार एवं एक ही भूमि से सम्बन्धित होने के कारण अपीलार्थी किया तथा उभयपक्ष अग्रिमाषकगण की बहस सुनी गई। चूंकि दोनों ही अपील एक रेस्पॉन्डेंट्स को जारिये समान तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब 06.2015 को अपारस्त करने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर वगैरह बनाम भवकरवर वगैरह में पारित निर्णय व हिस्की दिनांक 11.03.2014 तथा 11.06.2015 के तहत विक्रय रेस्पॉन्डेंट्स के प्रस्तुत करे उपखण्ड अधिकांशी मारवाड़ जंखान द्वारा राजस्व वाद संख्या 108/2013 भवसिंह राजस्थान काइलकारी अधिनियम 1955 के तहत विक्रय रेस्पॉन्डेंट्स के प्रस्तुत करे अपीलान्ट की ओर से प्रथक प्रथक अपील अन्तर्गत धारा 223

दिनांक : 16.11.17


:- निर्णय :-

1. श्री पीएमओ जारी, विद्वान अग्रिमाषक अपीलान्ट
2. श्री राजेंद्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अग्रिमाषक रेस्पॉन्डेंट्स
3. सरकारी प्रोकार, रेस्पॉन्डेंट संख्या 22 की ओर से

उपस्थित :-

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काइलकारी अधिनियम 1955





राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत कृषि जालों के विभाजन के प्राधान्य उल्लेखित है। इन प्राधान्यों की पालना राजस्थान कारतकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 के तहत की जानी आजापक है। इसमें भी स्पष्टतः समक्ष न्यायालय की वाद में दी गई डिक्री द्वारा जाल का विभाजन नियम 20 व 21 के तहत किये जाने के प्राधान्य है। राजस्थान कारतकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 में विभाजन के सम्बन्ध में जो प्राधान्य दिये गये हैं, उनके सम्बन्ध में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर ऐसा कोई ठोस कारण दर्शाित नहीं होता, जिसके आधार पर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अर्णुवित ठहराया जा सके। लिहाजा अपीलान्ट की अपील सारहीन पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंखन द्वारा राजस्व वाद संख्या 108/2013 सारसिंह वगैरा बर्नाम सारकरवर वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.03.2014 तथा 11.06.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रुषित किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारान को सूनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान कारतकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए नये सिरे से विभाजन प्रस्ताव तैयार करा कर लिखि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति संबन्धित पत्रावलिओं में संलग्न की जावे। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रेकडू लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 16.11.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खूले न्यायालय में सूनवाया गया।

राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय

(डॉ. बजरसिंह चौहान)